# न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
## (बाल मुकुन्द असावा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
## नामान्तरण अपील संख्याः 02/2023
## दायर दिनांकः 02.02.2023
## निर्णय दिनांक 15.04.2025

**—: अनवान :—**

1. बसन्त कुंवर पत्नि स्वर्गीय चेनसिंह जी जाति खरवड राजपूत उम्र वयस्क निवासी हमेरपाल, तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द, हाल निवासी गुजर मोहल्ला प्रताप बाजार रानी, जिला पाली राजस्थान
2. गणपतसिह पिता स्वर्गीय चेनसिंह जी जाति खरवड राजपूत उम्र वयस्क निवासी हमेरपाल, तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द, हाल निवासी गुजर मोहल्ला प्रताप बाजार रानी, जिला पाली राजस्थान **— अपीलान्टगण**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये श्री तहसीलदार, कुम्भलगढ जिला राजसमन्द
2. पेमा पिता मोती जी खरवड आयु वयस्क निवासी हमेरपाल तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द **— रेस्पोडेन्टगण**

**अपील विरूद्ध नामान्तरण आदेश न्यायालय तहसीलदार, कुम्भलगढ नामान्तरण संख्या 1456 दिनांक 13.04.2013 से व्यथित होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम**

**उपस्थितः—**

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलान्ट
2— श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3— रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अनुपस्थित।

**:: निर्णय ::**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार कुंभलगढ़ नामान्तरण संख्या 1456 दिनांक 13.04.2013 अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम हमेरपाल पटवार हल्का तलादरी तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 297, 298, 299, 300, 301 व 302 में चेना पिता मोती एवं केशा पिता मोती की सह खातेदारी की भूमि स्थित है। जिन्हें लाऔलाद बताते हुऐ रेस्पोण्डेंट संख्या दो ने अपने स्वयं एवं अपनी

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

बहिन ज्योती के नाम पर नामान्तरकरण स्वीकृत करवाया है जबकि अपीलार्थी चेना के विधिक वारीस उत्तराधिकारी है। इससे व्यथित होकर यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत है अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कुम्भलगढ द्वारा मृतक चेना पिता मोती एवं केशा पिता मोती की विरासत का नामान्तरकरण पेमा पिता मोती एवं ज्योति पत्नि मोती के नाम पर स्वीकृत किया गया है जो प्रारम्भ से ही अवैद्य व शुन्य है। चेना व केशा को लाऔलाद फौत होना बताया है लेकिन चेना एवं केशा दौनो शादीशुदा होकर इनके विधिक वारीसान उत्तराधिकारी जीवित है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक वारीसान उत्तराधिकारी की जॉच किये बगेर ही नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया है जो प्रारम्भ से ही अवैद्य व शुन्य है। चेना के विधिक वारीसान के रूप में उसकी पत्नि बसन्त कुंवर पुत्र गणपतसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह एवं पुत्री रेखा कुंवर जीवित है लेकिन चेना को लाऔलाद बताते हुए उक्त नामान्तरकरण स्वीकत करवाया गया है जो प्रारम्भ से ही अवैद्य व शुन्य है। इसी प्रकार केशा भी लाऔलाद फौत नहीं हुआ था बल्कि उसके विधिक वारीसान के रूप में उसकी पत्नि कंचन कुंवर एवं पुत्री सज्जन कुंवर विधिक वारीसान उत्तराधिकारी है लेकिन दोनो भाईयो को लाऔलाद बताते हुऐ पेमा ने इस सम्पत्ति को हडपने के लिए प्रशासन गाँवो के संग अभियान में तत्कालीन सरंपच से गलत प्रमाण पत्र जारी करा उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत कराया है जो प्रारम्भ से ही शुन्य है। मृतक चेनसिंह राजकीय सेवा में था। वह आबकारी विभाग में कार्यरत था। बसन्त कुंवर अपीलार्थी उसकी विधवा होकर राज्य सरकार द्वारा उसे पेंशन प्रदान की जा रही है तथा मृतक चेनसिह के स्थान पर राज्य सरकार द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के रूप में गणपतसिंह को राजकीय सेवा प्रदान की है जो वर्तमान में आबकारी कार्यालय जिला पाली में कार्यरत है। लेकिन उसे पेमा द्वारा लाऔलाद बताते हुए विरासत का नामान्तरकरण अपने नाम स्वीकृत करवाया है। इस तथ्य की जानकारी होने पर पेमा के विरूद्ध पुलिस थाना केलवाडा में आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 420, 467, 468 आई पी सी के तहत दर्ज कराया है जिसमें पुलिस थाना केलवाडा द्वारा पेमा के विरूद्ध अपराध प्रमाणित मानते हुए चार्जसीट पेश की है। पेमा को यह जानकारी होते हुए मृतक चेना व मृतक केशा के विधिक वारीसान उत्तराधिकारी है फिर उसने इनको लाऔलाद फौत बताते हुए उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत करवाया है। उक्त वादग्रस्त भूमि के संबध में वर्ष 2008 में स्वयं पेमा द्वारा न्यायालय सहायक कलेक्टर कुम्भलगढ में वाद पेश किया था जो प्रकरण संख्या 95/2008 होकर उक्त वाद में अपीलार्थी को चेनसिंह के वारीस के रूप में बताया है। इस मुकदमे में कोई सफलता नहीं मिलने पर अपीलार्थी के बाहर निवास होने का नाजायज फायदा उठा कर सरपंच से मिलीभगत करते हुऐ चेनसिंह व केशा उर्फ केशरसिंह को लाऔलाद फौत होना बताते हुए प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2013 में उक्त भूमि अपने व अपनी माता के नाम पर राजस्व रेकार्ड में उक्त नामान्तरकरण से दर्ज करवा दी। नामान्तरकरण से भूमि पेमा व ज्योति के नाम पर दर्ज होने के पश्चात् ज्योति से अपने पक्ष में पंजीकृत हक त्याग विलेख भी अभियुक्त पेमा ने वर्ष 2013 में ही निष्पादित करा उसका नामान्तरकरण संख्या 1477 दिनांक 02.01.2014 को दर्ज करवा दिया गया जो जमांबंदी की नकल से प्रमाणित

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

होता है। उक्त भूमि ज्योति के नाम पर राजस्व रेकार्ड में वर्तमान में दर्ज नहीं रही है इसलिए उसे उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपीलार्थी को उक्त आलोच्य आदेश एवं उसके अनुसरण में खोले गये नामान्तरकरण की जानकारी पूर्व में कभी नहीं रही थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया नामान्तरण आदेश कानूनन अवैध है। उक्त नामान्तरकरण अवैध रूप से स्वीकृत किया गया है, ऐसे नामान्तरकरण को अवैध नामान्तरकरण एवं अवैध आदेश की परिभाषा में माना जाता है और अवैध आदेश को चुनौति देने के लिये कोई मियाद नहीं हैं मामला अपीलांट का जायदाद से संबंधित है, इसके विधिक हक, अधिकार जुड़े हुए है। मामला गुणावगुण पर विचारण योग्य है और राजस्व अधिकारियों की गलती से जांच किये बगेर अपीलान्ट के वैध हक, अधिकार अवैध रूप से समाप्त किये गये है तथा यह अधिकार अन्य को किसी अंतरण विलेख के अभाव में अपने पद का दुरूपयोग करते हुए प्रदत्त किये गये हैं जो विधि के विपरीत होकर प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य है। ऐसे आदेश को कभी भी चुनौति दी जा सकती है। अपीलांट् को उक्त मामले में कभी सुना ही नहीं गया है, बिना सुने ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत मनमकसूद तरीके से आदेश पारित किया गया है, जिसकी जानकारी नकल प्राप्त करने पर होते ही शीघ्र यह अपील पेश की जा रही है। मामला गुणावगुण पर विचारण योग्य है। यदि उक्त मामले को तकनिकी आधार पर अस्वीकृत किया जाता है तो अपीलान्ट के विधिक हक अधिकार काफी प्रभावित होंगे और न्याय से वंचित होंगे। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त मामले में अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर आदेश पारित किया है। ऐसे आदेश के आधार पर पारित किया गया आदेश भी प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य है। उपरोक्त परिस्थिति में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई अपील को मियाद में मानते हुए निर्णित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। फिर भी धारा 5 मियाद अधिनियम का अलग से प्रार्थनापत्र पेश है। अतः प्रार्थना है कि अपीलान्ट की अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 13.04.2013 नामान्तरण संख्या 1456 में वर्णित राजस्व ग्राम हमेरपाल की खाता संख्या 297, 298, 299, 300, 301 व 302 में वर्णित भुमियो के संबंध में पारित नामान्तरण आदेश को अपास्त फरमाया जाकर अपीलार्थी एवं चेनसिंह तथा केशा उर्फ केशरसिंह के विधिक वारीसान के नाम पर उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में अंकन करने का आदेश फरमाया जावे ।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पाडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा ने उपस्थिति दी। तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अनुपस्थित।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व ग्राम हमेरपाल पटवार हल्का तलादरी तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 297, 298, 299, 300, 301 व 302 में चेना पिता मोती एवं केशा पिता मोती की सह खातेदारी की भूमि स्थित है। जिन्हें लाऔलाद बताते हुऐ रेस्पोण्डेंट संख्या दो ने अपने स्वयं एवं अपनी बहिन ज्योती के नाम पर नामान्तरकरण स्वीकृत करवाया है जबकि अपीलार्थी चेना के विधिक वारीस उत्तराधिकारी है। इससे व्यथित होकर यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत है अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कुम्भलगढ द्वारा मृतक चेना पिता मोती एवं केशा पिता मोती की विरासत का नामान्तरकरण पेमा पिता मोती एवं ज्योति पत्नि मोती के नाम पर स्वीकृत किया गया है जो प्रारम्भ से ही अवैद्य व शुन्य है। चेना व केशा को लाऔलाद फौत होना बताया है लेकिन चेना एवं केशा दौनो शादीशुदा होकर इनके विधिक वारीसान उत्तराधिकारी जीवित है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक वारीसान उत्तराधिकारी की जॉच किये बगेर ही नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया है जो प्रारम्भ से ही अवैद्य व शुन्य है। चेना के विधिक वारीसान के रूप में उसकी पत्नि बसन्त कुंवर पुत्र गणपतसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह एवं पुत्री रेखा कुंवर जीवित है लेकिन चेना को लाऔलाद बताते हुए उक्त नामान्तरकरण स्वीकत करवाया गया है जो प्रारम्भ से ही अवैद्य व शुन्य है। इसी प्रकार केशा भी लाऔलाद फौत नहीं हुआ था बल्कि उसके विधिक वारीसान के रूप में उसकी पत्नि कंचन कुंवर एवं पुत्री सज्जन कुंवर विधिक वारीसान उत्तराधिकारी है लेकिन दोनो भाईयो को लाऔलाद बताते हुऐ पेमा ने इस सम्पत्ति को हडपने के लिए प्रशासन गाँवो के संग अभियान में तत्कालीन सरंपच से गलत प्रमाण पत्र जारी करा उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत कराया है जो प्रारम्भ से ही शुन्य है। मृतक चेनसिंह राजकीय सेवा में था। वह आबकारी विभाग में कार्यरत था। बसन्त कुंवर अपीलार्थी उसकी विधवा होकर राज्य सरकार द्वारा उसे पेंशन प्रदान की जा रही है तथा मृतक चेनसिह के स्थान पर राज्य सरकार द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के रूप में गणपतसिंह को राजकीय सेवा प्रदान की है जो वर्तमान में आबकारी कार्यालय जिला पाली में कार्यरत है। लेकिन उसे पेमा द्वारा लाऔलाद बताते हुए विरासत का नामान्तरकरण अपने नाम स्वीकृत करवाया है। इस तथ्य की जानकारी होने पर पेमा के विरूद्ध पुलिस थाना केलवाडा में आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 420, 467, 468 आई पी सी के तहत दर्ज कराया है जिसमें पुलिस थाना केलवाडा द्वारा पेमा के विरूद्ध अपराध प्रमाणित मानते हुऐ चार्जसीट पेश की है। पेमा को यह जानकारी होते हुए मृतक चेना व मृतक केशा के विधिक वारीसान उत्तराधिकारी है फिर उसने इनको लाऔलाद फौत बताते हुए उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत करवाया है। उक्त वादग्रस्त भूमि के संबध में वर्ष 2008 में स्वयं पेमा द्वारा न्यायालय सहायक कलेक्टर कुम्भलगढ में वाद पेश किया था जो प्रकरण संख्या 95/2008 होकर उक्त वाद में अपीलार्थी को चेनसिंह के वारीस के रूप में बताया है। इस मुकदमे में कोई सफलता नहीं मिलने पर अपीलार्थी के बाहर निवास होने का नाजायज फायदा उठा कर सरपंच से मिलीभगत करते हुऐ चेनसिंह व केशा उर्फ केशरसिंह को लाऔलाद फौत होना बताते हुए प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2013 में उक्त भूमि अपने व अपनी माता के नाम पर राजस्व

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

रेकार्ड में उक्त नामान्तरकरण से दर्ज करवा दी। नामान्तरकरण से भूमि पेमा व ज्योति के नाम पर दर्ज होने के पश्चात् ज्योति से अपने पक्ष में पंजीकृत हक त्याग विलेख भी अभियुक्त पेमा ने वर्ष 2013 में ही निष्पादित करा उसका नामान्तरकरण संख्या 1477 दिनांक 02.01.2014 को दर्ज करवा दिया गया जो जमांबंदी की नकल से प्रमाणित होता है। उक्त भूमि ज्योति के नाम पर राजस्व रेकार्ड में वर्तमान में दर्ज नहीं रही है इसलिए उसे उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपीलार्थी को उक्त आलोच्य आदेश एवं उसके अनुसरण में खोले गये नामान्तरकरण की जानकारी पूर्व में कभी नहीं रही थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया नामान्तरण आदेश कानूनन अवैध है। अतः प्रार्थना है कि अपीलान्ट की अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 13.04.2013 नामान्तरण संख्या 1456 में वर्णित राजस्व ग्राम हमेरपाल की खाता संख्या 297, 298, 299, 300, 301 व 302 में वर्णित भुमियो के संबंध में पारित नामान्तरण आदेश को अपास्त फरमाया जाकर अपीलार्थी एवं चेनसिंह तथा केशा उर्फ केशरसिंह के विधिक वारीसान के नाम पर उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में अंकन करने का आदेश फरमाया जावे ।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कुंभलगढ़ द्वारा ग्राम हमेरपाल के नामान्तरणकरण संख्या 1456 दिनांक 13.04.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध विचारणीय अपील इस आधार पर प्रस्तुत की, कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कुंभलगढ़ द्वारा मृतक चैना पिता मोती एवं केसा पिता मोती को लाऔलाद फौत बताया जाकर इनकी विरासत का नामान्तरण पेमा पिता मोती एवं ज्योति पत्नि मोती के नाम स्वीकृत किया गया जबकि चैना एवं केसा दोनों शादीशुदा होकर इनके विधिक वारिसान उत्तराधिकारी जीवित है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक वारिसान उत्तराधिकारियों की जांच किये बगैर ही अपीलाधीन नामान्तरण स्वीकृत कर दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 13.04.2013 को अपास्त फरमाया जाकर अपीलार्थी एवं चैना व केसा के विधिक वारिसान के नाम नामान्तरण स्वीकृत करने का आदेश फरमावे।

उक्त क्रम में ग्राम हमेरपाल पटवार हल्का तलादरी के नामान्तरण संख्या 1456 के अवलोकन पर पाया कि चेना केसा पिता मोती खरवड़ के विरासत का नामान्तरण चेना, केसा पिता मोती खरवड़ को लाऔलाद फौत बताते हुए पेमा पिता मोती व ज्योति पत्नि मोती खरवड़ के नाम प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 में पटवारी हल्का तलादरी द्वारा दर्ज किया गया, उक्त नामान्तरण की जांच भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कुंभलगढ़ द्वारा उक्त नामान्तरण स्वीकृत

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज न्यायालय उप जिला कलक्टर कुंभलगढ़ में ग्राम हमेरपाल में स्थित कृषि भूमियों के संबंध में वादी पेमा पिता मोती द्वारा सन् 2008 में प्रस्तुत वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा, घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती, विभाजन एवं पृथक रेकॉर्ड में अंकन के अवलोकन करने पर पाया कि वादी पेमा पिता मोती द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद में बसन्त कुंवर पति चैन सिंह, गणपतसिंह महेन्द्रसिंह पिता चैन सिंह को प्रतिवादी बनाया गया व वाद में वादी का सजरा खानदान अंकित किया गया जिसमें भी चैना के बसन्त कुंवर व दो पुत्रों को वारिसान के रूप में अंकित किया गया। एवं वाद की कलम संख्या 8 में यह अंकन किया गया कि केसा की मृत्यु हो चुकी है जिसकी औरत केसा के जीवनकाल में ही नाते चली गई है। केसा के कोई औलाद नहीं है। बसन्त कुंवर जो की चैन सिंह की पत्नि थी, चैन सिंह की मृत्यु पश्चात् नाते चली गई। जिससे स्पष्ट है कि चैना व केसा लाऔलाद फौत नहीं हुए थे।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरणकरण स्वीकृत करने से पूर्व चैना व केसा के विधिक वारिसान की जांच नहीं की गई एवं चैना व केसा को लाऔलाद फौत बताते हुए अपीलाधीन नामान्तरण स्वीकृत कर दिया गया जो कि विधि सम्मत नहीं है एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरण अपास्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

## ::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कुंभलगढ़ द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1456 दिनांक 13.04.2013 को अपास्त किया जाता हैं तथा प्रकरण तहसीलदार कुंभलगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता हैं कि प्रकरण में मृतक चैना व केसा के विधिक वारीसान की नियमानुसार जांच कर पुनः नामान्तरकरण कार्यवाही करें।

15/4/25

**(बाल मुकुन्द असावा)**
**जिला कलक्टर**
**राजसमंद**

**निर्णय आज दिनांकः** 15.04.2025 **को खुले न्यायालय में सुनाया गया**

**(बाल मुकुन्द असावा)**
**जिला कलक्टर**
**राजसमंद**

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)